

26/6/24  
 पत्रावली पत्र हुई। राज घांभरावक  
 संघ द्वारा जमानत के अंतर्गत रखी  
 गया है। घतः पत्रावली का प्रथम कार्यवाही  
 दिनांक 31/7/24 को पत्र हो

31/7/24 पत्रावली पत्र हुई। अल्पसंख्यक तहसील जालंधर  
 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमानत के अंतर्गत  
 राजस्व अपील आदिवासी संस्थान (ईएम) का  
 दिनांक 28/01/22 द्वारा स्वयं उपाधी होने से  
 पालना संभव नहीं है। अतः इलाक़ा जालंधर को  
 इसी स्तर पर स्वामि किया जाता है। जहाँ  
 उक्त शब्दांग अपास्त होने पर पुनः इलाक़ा  
 जालंधर पर पत्र होने हेतु संभव होगा। अतः  
 आज दिनांक को पुनः जमानत में पुनः कार्य  
 पत्रावली जालंधर होकर कार तदुसील शासक  
 दफ्तर हो

एवा/मई  
 31/7/24  
 सहायक कलेक्टर एवं कावपालक  
 मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) जालंधर